न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 44 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पुखराज पुत्र मसराजी
2. जामताराम पुत्र प्रभुजी
3. तगाराम पुत्र प्रभुजी
4. गेबाराम पुत्र प्रभुजी जाति राजपुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सकीया उर्फ सकाराम पुत्र गणेशाराम जाति वजीर
2.नरपतसिंह पुत्र पूंजाराम
3.जयसिंह पुत्र पूंजाराम
4.सुकीदेवी पत्नी पूंजाराम जाति वजीर निवासी ईटवाया
5.तिलोकराम पुत्र नागाजी जाति मेघवाल निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
6.प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा पादरू
7.राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 21 / 2017 बअनवान सकीया बनाम तिलोकाराम में पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1302 रकबा 33.09 बीघा भूमि ग्राम ईटवाया पटवार मण्डल पादरू में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306 व 1307 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिवाना ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिवाना ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त खसरे की सीमा को तौड़कर दूसरे खसरे में रास्ता प्रस्तावित किया गया। खसरा संख्या 1306 में एल आकार में जब तक रास्ते को नहीं मोड़ा जाता हैं, तब तक खसरा संख्या 1307 में प्रवेश होना संभव नहीं था, जब किसी भी भूमि में प्रवेश करने हेतु मोड़ देकर दुसरे खसरे में प्रवेश किया जाता हैं, तो उसकी लम्बाई निश्चित रूप से विना मोड के रास्ते से अधिक ही होगी, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 21/2017 बअनवान सकीया बनाम तिलोकाराम में पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 1303 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए खसरा संख्या 1307 या 1306 व 1307 या 1306 व 1303 उपरोक्त तीनों विकल्पों में से जो भी लघुतम दूरी का रास्ता हो उसे स्वीकृत करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जोखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर